न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— मूलचंद, आर.ए.एस.

अपील संख्या 281/2018 (2018/401) 75 एल आर एक्ट

बद्रीप्रसाद पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1—रामलाल पुत्र मिश्रीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2—सन्तासिंह उर्फ सच्चासिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3—स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 19.08.2016 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 49/2014 बअनवानी रामलाल बनाम सन्तासिंह आदि

सत्यमेव जयते

उपस्थितः—
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री हरीसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 18.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी ने रेस्पो0 संख्या 2/अप्रार्थी के विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व रावतसर के समक्ष आवेदन पत्र बाबत् स्वीकृति रास्ता अन्तर्गत शर्त संख्या 8(2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1954 प्रस्तुत कर ग्राम लालपुरा के प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1/1 की 0.013 है0, किला न0 10/2 की 0.012 है0, किला न0 11/2 की 0.012 है0, किला न0 20/1 की 0. 013 है0, व किला न0 21/1 की 0.002 है0 कुल 0.052 है0 व प0 न0 237/437 मु0 न0 226 किला न0 21/1 की 0.013 है0, किला न0 23/1 की 0.013 है0, किला न0 24/1 की 0.012 है0, किला न0 25/1 की 0.013 है0 कुल 0.0510 है0 बारानी भूमि में रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा जो अपीलाधीन निर्णय से स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने बतौर तृतीय पक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए

स्वीकृत किया है उसमें कोई दिशा अंकित नहीं की है जबकि उक्त प0 न0 की भूमि में अपीलान्ट की भूमि बाबत् जो निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 को पारित की है उसमें मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 में पश्चिम पासा अपीलान्ट की भूमि होना सिद्ध होता है जिसके किला न0 1 में अपीलान्ट का कृषि सयंत्र हेतू कोठा निर्मित है। मु0 न0 225 के चिपते मु0 न0 226 में भी किला न0 5,6,15,16,25 में भी अपीलान्ट की भूमि है इस प्रकार अपीलान्ट की मु0 न0 225 व 226 की भूमि इकजाई है। इस भूमि के मध्य उत्तर से दक्षिण कोई रास्ता नहीं है। जिसकी ताईद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2018 को ली गई रिपोर्ट तहसील हल्का से भी सिद्ध होती है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को प्राप्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 से खाता विभाजन में प्राप्त भूमि को चुनौती देते हुए एक अन्य अपील प्रस्तुत कर देने के कारण अपीलान्ट के पक्ष में 02.07.2018 को रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा किला न0 1,10,11,20,21 मु0 न0 225 में पश्चिमी तरफ रास्ता कायम कायम करना चाहता है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय में प्रश्नगत रास्ता की दिशा अंकित नहीं होने पर अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार है। इसलिए अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय में मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पूर्वी तरफ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की रास्ते की भूमि होने बाबत् स्पष्ट आदेश प्रसारित किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय से जो रास्ता स्वीकृति का आदेश दिया है वह विधि सम्मत है। चूंकि भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की रास्ते हेतू ही खरीद की गई थी एवं मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पश्चिमी तरफ ही प्रश्नगत रास्ता चालू है एवं यह रास्ता आगे मु0 न0 227 के किला न0 21 ता 25 में स्वीकृत किये रास्ते को मिलान करता है जबकि मु0 न0 225 में अगर रास्ता किला न0 1,10,11,20,21 के पूवी तरफ माना जाता है तो किला न0 21 में स्वीकृत हुआ रास्ता मु0 न0 227 के किला न0 25 से मिलान नहीं करेगा इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय किसी तरह से भी पीड़ित पक्षकार नहीं है एवं अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपील पारित होने की दिनांक से अपीलान्ट को था रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अन्य अपील 282/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हुई है जिसमें भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन निर्णय का जिक्र किया हुआ है जो वर्ष 2016 से विचाराधीन है। जबकि मौजुदा अपील अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत की है जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपीलांट ने प्रत्येक दिन की देरी का खुलासा नहीं किया है इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने का कथन किया। अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरआरटी पेज 423, 1992 आरआरडी 337, 1992 आरआरडी 17 (सी), 2018 आरआरटी पेज 801 (एससी), 2004 आरआरडी पेज 167 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया व न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी एवं उसके जवाब तथा प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने किस दिशा में स्वीकृत किया है यह अंकित नहीं करने पर विवाद उत्पन्न हुआ है जबकि अपीलाण्ट के द्वारा खाता विभाजन की डिक्री 29.12.2014 को प्राप्त की है। उसमें उसकी भूमि की दिशा अंकित है। रिपोर्ट दिनांक 02

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.2018 तहसीलदार रावतसर से प्रश्नगत रास्ता की दिशा अंकित की गई है जो अपीलाण्ट के कथनों को बल देती है जिससे अपीलाण्ट अपीधीन निर्णय में रास्ते की दिशा अंकित नही होने की हद तक पीड़ित पक्षकार है तथा अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं जाता है अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायलाय में वाद में पक्षकार नहीं अपीलाधीन निर्णय में स्वीकृत किये गये रास्ते की दिशा अंकित नही होने से एवं अब दिनांक 02.07.2018 को रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने एवं पूर्व में अपीलाण्ट का खाता विभाजन वाद 29.12.2014 को डिक्री होने के कारण प्रश्नगत रास्ता की स्थिति स्पष्ट होने पर रिपोर्ट दिनांक 02.07.2018 प्राप्त होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट की प0 नं0 238/437 (225) की प्रश्नगत भूमि में रास्ता कायम करने कायम करने का प्रयास दिनांक 23.07.2018 को करने पर अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दिये जाने की आवश्यकता समझे जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेज होने के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रमाणित दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने मौका की रिपोर्ट नहीं ली केवल मात्र पक्षकारान के जवाब के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया है। पैरोकार राज ने भी मौका देखे बिना जवाब दिया है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम लालपुरा के मु0 न0 225 में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया है उसमें दिशा अंकित नहीं की गई है । जबकि ग्राम लालपुरा के प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में अपीलान्ट की भूमि स्थित है जबकि इसी प0 न0 के किला न0 1/1, 10/2, 11/2, 20/1 व 21/1 की भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की है अपीलान्ट ने अपनी अन्य भूमि को शामिल करते हुए खाता विभाजन एवं उदघोषणा का वाद 29.12.2014 को डिक्री करवाया है जिसमें मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 की दिशा पश्चिमी अंकित की गई है। जबकि अपीलाधीन निर्णय से जो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि में प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करवाया है उसकी कोई दिशा अंकित नहीं करवाई है ना ही उनके द्वारा आवेदन पत्र में ही दिशा बाबत् कोई स्पष्ट अंकन है। जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2014 को आवेदन पत्र बाबत् रास्ता स्वीकृति प्रस्तुत किया गया है जबकि इससे पूर्व से विचाराधीन वाद संख्या 182/2013 से दावा अपीलान्ट डिक्री किया जाकर अपीलान्ट की भूमि की दिशा किला न0 1,10,11,20,21 में पश्चिमी तरफ दर्शाते हुए आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के द्वारा अपील पत्रावली संख्या 282/16 में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार रावतसर दिनांक 02.07.2018 की प्रमाणित प्रति इस अपील में पेश की है जिसके अवलोकन से भी अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की भूमि की दिशा अपीलान्ट के कथनो का समर्थन करती है। अपीलाधीन निर्णय में स्वीकृत किये मु0 न0 225 के किला न0 1/1, 10/2, 11/2, 20/1 व 21/1 में रास्ता की दिशा अंकित ही नहीं होने

राजस्व अपील अधिकारी अनूपगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आंशिक संशोधन योग्य होने से दिशा संबंधीं संशोधन किया जाकर आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि ग्राम लालपुरा के प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1/1, 10/2, 11/2, 20/1 व 21/1 जो रास्ता की भूमि है वह मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण स्थित है। शेष अपीलाधीन आदेश व संशोधित आदेश यथावत जाये।

10. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 19.08.2016 आंशिक संशोधन किया जाकर स्पष्ट किया जाता है। कि अपीलाधीन निर्णय से स्वीकृत किया गया ग्राम लालपुरा के प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1/1,10/2,11/2,20/1 व 21/1 में रास्ता प0 न0 238/437 मु0 न0 225 के किला न0 1,10,11,20,21 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्थित है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय शेष अपीलाधीन आदेश व संशोधित आदेश यथावत रखा जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

18/7/19

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़